UPAU010010262026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया

उपस्थितः-**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP-2391

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-**365/2026**

महावीर शरण पाहाडिया पुत्र जागेश्वर दयाल गुप्ता निवासी मंगला पैलेस रोडवेज बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जिला औरैया

.... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या-543/2025
धारा-318(4),338,336(3),340(2),
317(2),3(5)बी.एन.एस.
थाना-औरैया, **जनपद** औरैया

दिनांकः 24.03.2026

1. प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **365/2026** प्रार्थी/अभियुक्त **महावीर शरण पाहाडिया** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **543/2025** अन्तर्गत धारा **318(4), 338, 336(3),340(2),317(2),3(5)बी.एन.एस.**,थाना **औरैया**, जनपद औरैया के मामले में अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि जीएसटी अधिनियम 2017 के अन्तर्गत फर्म सर्वश्री शारदा ट्रेडिंग कम्पनी सदर बजार कस्बा खानपुर औरैया उप्र पिन कोड 206122 जीएसटीन 09JINPK 2029B1Z9 की विशेष अनुशंधान शाखा इटावा राज्य कर इटावा द्वारा दिनांक 12.12.2024 को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (विअनुशा) राज्य कर इटावा तथा संयुक्त आयुक्त (विअनुशा) राज्य कर इटावा संम्भाग इटावा के निर्देशों के कम की गयी थी जिसमें जांच का आधार था कि सर्वश्री शारदा टेडिंग क औरैया द्वारा सर्वश्री गौरी शंकर टेडिंग कम्पनी जयपुर राजस्थान जीएसटीन 08FQIP M5905F 1ZM से बोगस खरीद दिखाते हुए हैं 229.50 की आईटीसी क्लेम की गयी है। जबकि सर्वश्री गौरी शंकर ट्रेडिंग कम्पनी जयपुर द्वारा आपने जीएसटीआर-3 बी में कोई करदेयता स्वीकार नहीं की गयी है तथा आपूर्ति के बिना बोगस आईटीसी पस ऑन करने के उद्देश्य से सर्वश्री शारदा टेडिंग कम्पनी औरैया को टैक्स इनवइस जारी की गयी है। सर्वश्री शारदा टेडिंग कम्पनी औरैया द्वारा भी माल की वास्ततिक आपूर्ति किये बिना विभिन्न फर्मों को आईटीसी पास ऑन करते हुए राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है। उक्त के आधार पर संयुक्त आयुक्त (विअनुशा) राज्य कर इटावा सम्भाग इटावा द्वारा जारी सर्च वारन्ट आईएनएस 01 न. ZD0912241XXXXX दिनांक 12.12.2024 प्राप्त करते हुए फर्म की जांच की गयी जांच पर घोषित व्यापार स्थल अस्तित्व में नही पाया गया। विभागीय नियमानुसार दो गवाहो की उपस्थिति में पंचनामा लिखा गया। (पंचनामा संलग्न किया जा रहा है जिस पर गवाहो के हस्ताक्षर है) अतः जांच पर फर्म अस्तित्वहीन पायी गयी। उपर्युक्त के आलोक में फर्म के पजीयन प्रोफाइल की जांच पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा पंजीयम दिनांक 16.11.2022 को केन्दीय क्षेत्राधिकार में प्राप्त किया गया है जिसके फर्म स्वामी श्री बापी केवरा पुत्र श्री राजेश केवरा निवासी बरदांगल पचमहली धनबाद झारखण्ड पिन कोड 828203 है। जांच के उपरान्त व्यापारी को समन जारी करने पर भी व्यापारी उपस्थित नही हुऐ। स्पष्ट है कि श्री बापी केवरा पुन्न श्री राजेश केवरा द्वारा फर्जी दस्तावेजो के आधार पर पंजीयन प्राप्त करके रु 229.50 लाख आईटीसी प्राप्त एवं अग्रेसित कर करापवचन का कृत्य किया है जिससे राजस्व की क्षति हुई हैं जो जीएसटी अधिनियम की धारा

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.24 17:42:35 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and
Sessions Court-1,Auraiya

के अन्तर्गत अपराधिक कृत्य है, तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत भी दण्डनीय है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह जमानत याचिका उसकी ओर से अपराध संख्या 543/2025, धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2), 317 (2), 3 (5) बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, थाना, कोतवाली, जिला–औरैया के संबंध में दायर की जा रही है। वह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादों और व्यक्तिगत द्वेष के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। **जेल और जमानत का कानूनी पहलू – स्वतंत्रता केंद्रित दृष्टिकोण–**आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जमानत की अवधारणा को स्वतंत्रता–केंद्रित दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को ध्यान में रखा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) से लेकर सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई तक कई निर्णयों में लगातार यह कहा है कि "जमानत नियम है और कारावास अपवाद है।" इसलिए, विचाराधीन कारावास केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उचित ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि सजा देना। विशेष रूप से दस्तावेजी साक्ष्य मामलों में – हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है। पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 एससीसी 24 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब मामला मुख्य रूप से जांच एजेंसी के पास पहले से मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित हो, तो हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं हो सकती है। **विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रभावी होगा–**वर्तमान मामले में लगाए गए आरोप केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित हैं। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि विशेष कानून सामान्य कानून पर हावी होता है, और इसलिए जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत निहित प्रावधान ऐसे मामलों में जांच, गिरफ्तारी और अभियोजन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जीएसटी अधिनियम के अध्याय XIX में जीएसटी से संबंधित मामलों में अपराधों, दंडों, गिरफ्तारी और अभियोजन से निपटने के लिए एक पूर्ण और विस्तृत वैधानिक तंत्र मौजूद है। **अपराध जमानती और गैर–संज्ञेय हैं–**सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132(4) के अनुसार, इस मामले में आरोपित अपराध जमानती और संज्ञेय प्रकृति के हैं। इसलिए, पुलिस अधिकारी केवल जीएसटी संबंधी आरोपों के आधार पर आवेदक को गिरफ्तार नहीं कर सकते। **आरोपों की प्रकृति – आयकर विभाग से संबंधित लेनदेन–** अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित कुछ कृत्य किए गए, जैसे कि आईटीसी का गलत तरीके से लाभ उठाने या उपयोग करने और सरकार को इसका भुगतान न करने के उद्देश्य से कथित फर्जी कंपनियों का निर्माण करना। हालांकि, बहस के लिए ऐसे आरोपों को मान भी लिया जाए, तो भी वे आर्थिक और दस्तावेजी प्रकृति के हैं, जो वित्तीय अभिलेखों, चालानों और रिटर्न पर आधारित हैं जो पहले से ही विभाग के पास मौजूद हैं। **अपराधों का समझौता–** सीजीएसटी अधिनियम की धारा 138 अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के निपटारे के लिए वैधानिक तंत्र प्रदान करती है। इस तरह के प्रावधान की मौजूदगी ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विधायिका ऐसे व्यक्तियों को शातिर या आदतन अपराधी नहीं मानती, बल्कि ऐसे विवादों को एक नियामक और वित्तीय ढांचे के भीतर निपटाती है। इसलिए, वैधानिक योजना स्वयं यह दर्शाती है कि जीएसटी अधिनियम के तहत अपराधों को अलग–अलग तरीके से निपटाया जाता है और उन्हें समझौता योग्य और जमानती प्रकृति का बनाया गया है। **लैटिन कहावत** – सत्ता अप्रत्यक्ष रूप से वह कार्य नहीं कर सकती जो वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती। यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है जो लैटिन कहावत में परिलक्षित होता है: जब कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित होती है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रतिबंधित होती है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से या किसी छिपे हुए तरीके से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, जहां वैधानिक योजना ही ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की शक्ति को सीमित करती है, वहां अधिकारी अप्रत्यक्ष तरीकों से वैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त बुनियादी सिद्धांतों के आलोक में, पुलिस अधिकारियों को आवेदक को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं था, विशेष रूप से तब जब कथित अपराध जीएसटी अधिनियम के वैधानिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं और उसमें निर्धारित विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा शासित होते हैं। **तथ्यात्मक पहलू–**उसकी फर्म ने हमेशा नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है,

लेन–देन का उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य जीएसटी संबंधी अनुपालन के संबंध में किसी भी कर चोरी या अनियमितता में कभी भी शामिल नहीं पाई गई है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के अनुसार, जब भी कथित तौर पर कोई कर कम भुगतान किया गया हो या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया हो, तो उचित अधिकारी को संबंधित व्यक्ति को वैधानिक नोटिस जारी करना आवश्यक है। हालांकि, वर्तमान मामले में, वह या उसकी फर्म को ऐसा कोई वैधानिक नोटिस जारी नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विभाग को भी आईटीसी के गलत उपयोग या कर चोरी को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 में आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी सहित आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि, वर्तमान मामले में, सक्षम जीएसटी अधिकारियों द्वारा ऐसी शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विभाग के अनुसार भी ऐसी कठोर कार्रवाई को उचित ठहराने वाली कोई परिस्थितियां मौजूद नहीं थीं। गिरफ्तारी या हिरासत की कार्रवाई एक असाधारण उपाय है, और वर्तमान मामले में उसकी हिरासत का कोई औचित्य नहीं है। वह और उसकी फर्म जीएसटी के तहत विधिवत पंजीकृत हैं और जीएसटी का भुगतान करते हैं तथा पिछले लगभग 10 वर्षों से वैध व्यावसायिक गतिविधियाँ चला रहे हैं। वह एक कानून का पालन करने वाला व्यवसायी है जिसकी समाज में गहरी जड़ें हैं। वह या उसकी फर्म का नाम एफआईआर में भी नहीं है, जो स्वयं दर्शाता है कि उसके खिलाफ कोई प्रारंभिक आरोप नहीं था। वह और उसकी फर्म का एफआईआर में उल्लिखित नामित आरोपी व्यक्तियों से दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है, और उसको बिना किसी विश्वसनीय आधार के झूठा फंसाया गया है। उसके कब्जे से कोई विश्वसनीय या दोषी ठहराने वाली सामग्री बरामद नहीं हुई है, जिससे उसके खिलाफ अभियोजन का मामला और कमजोर हो जाता है। जांच एजेंसी ने उसकी पुलिस हिरासत रिमांड (पीसीआर) नहीं मांगी है, जो स्वयं इंगित करता है कि उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह कानून का पालन करने वाला और समाज में गहरी आस्था रखने वाला नागरिक है। उसके फरार होने या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोई संभावना नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि उसकी गिरफ्तारी केवल एक सह–आरोपी व्यक्ति के कथित इकबालिया बयान के आधार पर की गई है, जिसका स्वयं वर्तमान उसके विरुद्ध कानून में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है, और इसलिए केवल इस आधार पर उसकी गिरफ्तारी स्वतः ही अवैध और कानून की दृष्टि में अस्थिर है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि गिरफ्तारी के समय उसको गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में कभी नहीं दिए गए, जो कानून के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य सुरक्षा उपायों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक संरक्षण का स्पष्ट उल्लंघन है। यह भी निवेदन किया गया है कि उसकी गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेश मिहिर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि गिरफ्तारी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करते हुए की जानी चाहिए और गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज और सूचित किया जाना चाहिए। इन सुरक्षा उपायों का पालन न करने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाती है और आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार होता है। यह निवेदन किया गया है कि कथित गिरफ्तारी और तथाकथित बरामदगी कोई–साक्ष्य आवेदन पर दर्ज नहीं किया गया है, जो कई उच्च न्यायालयों द्वारा अब जोर दिए जा रहे प्रक्रिया और पारदर्शिता संबंधी आवश्यकताओं के विपरीत है। जांच एजेंसी द्वारा ई–साक्ष्य तंत्र के माध्यम से ऐसी कार्यवाही दर्ज न करने से जांच की निष्पक्षता और वैधता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और वह जमानत का हकदार बनता है। शादाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2026 उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उसको हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, जो पहले से ही अधिकारियों के पास मौजूद हैं, और इसलिए उसको हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं होगा अतः न्याय के हित में उसको जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाला कोई अन्य आदेश भी पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि जीएसटी अधिनियम 2017 के अन्तर्गत फर्म सर्वश्री शारदा ट्रेडिंग कम्पनी सदर बजार कस्बा खानपुर औरैया उप्र की विशेष अनुशंधान शाखा इटावा राज्य कर इटावा द्वारा जांच में सर्वश्री शारदा टेडिंग क औरैया अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सर्वश्री गौरी शंकर टेडिंग कम्पनी जयपुर राजस्थान जीएसटीन 08FQIP M5905F 1ZM से बोगस खरीद दिखाते हुए हैं 229.50 की आईटीसी क्लेम की गयी है। जबकि सर्वश्री गौरी शंकर ट्रेडिंग कम्पनी जयपुर द्वारा आपने जीएसटीआर-3 बी में कोई करदेयता स्वीकार नहीं की गयी है तथा आपूर्ति के बिना बोगस आईटीसी पस ऑन करने के उद्देश्य से सर्वश्री शारदा टेडिंग कम्पनी औरैया को टैक्स इनवइस जारी की गयी है। सर्वश्री शारदा टेडिंग कम्पनी औरैया द्वारा भी माल की वास्ततिक आपूर्ति किये बिना विभिन्न फर्मों को आईटीसी पास ऑन करते हुए राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है। उसके उपरान्त फर्म की जांच की गयी जांच पर घोषित व्यापार स्थल अस्तित्व में नही पाया गया। अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर पंजीयन प्राप्त करके रु 229.50 लाख आईटीसी प्राप्त एवं अग्रेसित कर राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी व बोगस फर्म बनाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन प्राप्त करके रु 229.50 लाख आईटीसी प्राप्त एवं अग्रेसित कर राजस्व की क्षति पहुचाने का आरोप है। इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद नहीं है। विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त महावीर के कब्जे से बरामद फोन , दो रजिस्टर व टैक्स इन्वायस व ई-बिल बरामद होना फर्द बरामदगी में बताया गया है। सहअभियुक्त श्याम सुन्दर पासवान के पास से मोहर, फोन, चैकबुक फर्द बरामदगी में बरामद होना बताया गया है। सी.डी. पर्चा नम्बर 32,34 के पृष्ठ 3 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाजमद अभियुक्त बापी केवरा ने विवेचक को धारा 180 बी.एन.एस.एस. में बयान दिया है कि " मेरे घर से चारपांच किलोमीटर दूर एक व्यक्ति रहते है। जिनका नाम श्याम सुन्दर पासवान है। उन्होने मुझे नौकरी देने के नाम पर मुझसे मेरा पैनकार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट फोटो व फोटो कापी ले लिया। मेरे उपरोक्त दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते हुए कोई कम्पनी खोल दी जब पुलिस लोग मुझे पकडने घर आये तब मुझे यह सब मालूम हुआ मेरे द्वारा यह सभी दस्तावेज केवल नौकरी हेतु दिये गये थे। मुझको गलत फसाया गया इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। " अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आपराधिक इतिहास नहीं होना जमानत देने का कारण नहीं हो सकता है। इस प्रकरण में धारा 338 बी.एन.एस. में आजीवन कारावास या दस साल तल की सजा का प्रावधान है। अन्य धाराओं में तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। अग्रिम जमानत देने के लिये न्यायालय का यह समाधान होना आवश्यक है कि अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता क्या है तथा क्या आवेदक को उस अपराध में गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है। यह प्रकरण केवल इस आशंका पर भी आधारित नही है कि अभियुक्त को क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाकर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सी.डी. पर्चा नम्बर 1 के पृष्ठ 3 पर यह अभिकथित किया गया है कि उक्त व्यापारी को समन किये गये वह उपस्थित नहीं हो रहा है। निरीक्षक अपराध शाखा औरैया ने अपनी आख्या में यह अभिकथित किया है कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा। It has been held by Hon'ble Supreme Court in Nikita ... vs The State Of Maharashtra on 21 July, 2025 and in Srikant Upadhyay vs The State Of Bihar on 24 July, 2023 that anticipatory bail is an exceptional remedy and ought not to be granted in a routine manner. There must exist strong reasons for extending indulgence of this extraordinary remedy to a person accused of grave offences.

7. अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **महावीर शरण पाहाडिया** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **543/2025** अन्तर्गत धारा **318(4), 338, 336(3),340(2),317(2),3(5)बी.एन.एस.**, थाना–**औरैया** जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **365/2026** न्यायहित में निरस्त किया जाता है।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया